Extension of Timelines (PARs 2025-26)

संख्या-6/2026/I/1322116/2026-02-5099/43/2025

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश,शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 08.05.2026

विषयः- **आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2025-2026 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III, दिनांक 29.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि कतिपय कठिनाईयों (Active engagement of AIS officers in the ongoing State Legislature Elections in 05 State) के कारण अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा Submitting self appraisal/recording of PAR for year 2025-26 पूर्ण किये जाने हेतु की जा रही कठिनाईयों का संज्ञान लेते हुए 01 माह का समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.04.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कृपया वर्ष 2025-26 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अंतर्गत अपना मंतव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Activity	Cut-off dates	
	Existing	Revised
Self appraisal for current year	31st May, 2026	30st June, 2026
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2026	31st August, 2026
Appraisal by Reviewing Authority	30st September, 2026	31st October, 2026
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2026	31st December, 2026

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III, दिनांक 29.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक स0अ0/स0अधि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को शासनादेश को ऑन-लाइन भी अपलोड करना कृपया सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Extension of timelines (PARs- 2025-26)
संख्या:I/1322116/2026

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक:08-05-2026

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2025-26 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 29.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अगवत कराया गया है कि कतिपय कठिनाईयों (Active engagement of AIS officers in the ongoing State Legislature Elections in 05 State) के कारण अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा Submitting self appraisal/ recording of PAR for year 2025-26 पूर्ण किये जाने हेतु की जा रही कठिनाईयों का संज्ञान लेते हुए 01 माह का समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया गया है।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.04.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कृपया वर्ष 2025-26 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अन्तर्गत अपना मन्तव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित

करने का कष्ट करें:-

Activity	Cut off dates	
	Existing	Revised
Self appraisal for current year	31st May, 2026	30th June, 2026
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2026	31st August, 2026
Appraisal by Reviewing Authority	30th September, 2026	31st October, 2026
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2026	31st December, 2026

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by VIJAY KUMAR
Date: 08-05-2026 13:54:03

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव-
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अवर सचिव, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 29.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक स0अ0/स0अधि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को शासनादेश को आन-लाइन भी अपलोड कराना कृपया सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

No. 11059/04/2025-AIS-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

Kartavya Bhavan - 3, New Delhi
Dated the 29th April, 2026

To,

The Chief Secretaries of States / UTs

Subject: Extension of timelines for recording of PAR for the year 2025-2026 in respect of AIS officers (IAS / IPS / IFS) by the Reporting / Reviewing / Accepting authorities – reg.

Sir / Madam,

I am directed to refer to the relevant provisions governing the recording of PAR under AIS (PAR) Rules, 2007 as amended from time to time. In this regard, it is stated that owing to the active engagement of AIS officers in the ongoing State Legislature Elections in 05 States, difficulties are being faced by the AIS officers in submitting their self-appraisal/ recording of PAR for the year 2025-26.

2. Accordingly, the matter has been duly considered in this Department and it has been decided with the approval of the Competent Authority to extend the existing timelines for recording PAR for the year 2025-26 by 01 month, in relaxation of Rule 5(1) read with Schedule 2 of AIS (PAR) Rules, 2007 and Rule 7A so as to give sufficient time to each authority, as indicated below: -

Activity	Cut off dates	
	Existing	Revised
Self Appraisal for current year	31st May, 2026	**30th June, 2026**
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2026	**31st August, 2026**
Appraisal by Reviewing Authority	30th September, 2026	**31st October, 2026**
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2026	**31st December, 2026**

3. Notwithstanding anything contained herein, no remarks may be recorded after 31st December, 2026 in the PAR of AIS officers for the PAR year 2025-2026, in accordance with the 2nd proviso of Rule 5(1) of the AIS (PAR) Rules, 2007, as amended.

4. The aforesaid relaxation is accorded as one-time measure only.

Yours faithfully,

(Kavita Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Ph:011-24010416

Copy for information and necessary action to:

1. All the Ministries / Department of Government of India
2. The Ministry of Home Affairs, being the cadre controlling authority for IPS officers, Kartavya Bhavan - 3, New Delhi.
3. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change, being the cadre controlling authority for IFS officers, Lodhi Road, Jor Bagh, New Delhi.
4. The Under Secretary, EO (PR) Section, DoP&T – for information and necessary action
5. NIC, DoP&T